

# ई-ट्यूटोरियल

1. संशोधित फॉर्म संख्या 24 क्यू अनुलग्नक-॥ के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी।
2. फॉर्म संख्या 24 क्यू अनुलग्नक-॥ में परिवर्तन / नई ज़रूरतें।
3. फॉर्म संख्या 24 क्यू अनुलग्नक-॥ में कॉलम वार परिवर्तन।



TDS  
Centralized Processing Cell

# 1. संशोधित फॉर्म संख्या 24 क्यू अनुलग्नक-II के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी।

## अधिसूचना की व्यावहारिकता -

"सीबीडीटी अधिसूचना 36/2019", दिनांक 12 अप्रैल , 2019 के अनुसार फॉर्म संख्या 24 क्यू, अनुलग्नक-II में टीडीएस विवरण के प्रारूप को संशोधित किया गया है। अधिसूचना 12 वीं मई '2019 से लागू होगी।

फॉर्म 16 और 24 क्यू को अधिक विस्तृत और जानकारीपूर्ण बनाने के लिए संशोधित किया गया है।आईटीआर फॉर्म में किए गए नवीनतम परिवर्तनों जैसे कटौती और छूटों के प्रकटीकरण के साथ फॉर्मों को समानता में लाने के लिए ऐसा किया गया है। जो यह सुनिश्चित करेगा कि फॉर्म 16 आईटी रिटर्न फॉर्म के अनुरूप होगा, जिससे करदाताओं को अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना आसान हो जाएगा।

## 2. फॉर्म संख्या 24 क्यू अनुलग्नक-II में परिवर्तन / नई ज़रूरतें।

संशोधित फॉर्म 24 क्यू में वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान या जमा किए गए वेतन के बारे में अधिक 'विवरण की मांग' (Detailed information) होती है। साथ ही उन मामलों में ऋणदाता का पैसा प्रस्तुत करना अनिवार्य है जहां बैंक/वित्तीय संस्था/नियोक्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से आवास ऋण लिया जाता है। नए प्रारूप के लिए कटौतीकर्ताओं को अतिरिक्त जानकारी के बाद निम्नांकित विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है--

### 1. आयकर अधिनियम की अनुच्छेद / धारा 10 के अधीन आय में मिली छूट का विस्तृत विवरण-

- a. अनुच्छेद 10(5) में यात्रा रियायत या सहायता को
- b. अनुच्छेद 10(10) में मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी
- c. अनुच्छेद 10(10 ए) में पेंशन का प्रतिबद्ध मूल्य को
- d. अनुच्छेद 10(10 ए ए) में नकद वेतन के समतुल्य अवकाश वेतन नकदीकरण
- e. अनुच्छेद 10(13 ए) में मकान किराया भत्ता
- f. अनुच्छेद 10(13 ए) में मकान मालिक का पैसा, यदि छूट की माँग (claim for exemption ) की जाती है
- g. अनुच्छेद 10 में किसी भी अन्य छूट की राशि

### 2. आयकर अधिनियम के अध्याय VI-ए की कटौतियों का अनुभाग-वार खुलासा (viz. धारा 80C, 80CCC, 80CCD (1), 80CCD (1B), 80CCD (2), 80D, 80E, 80G, 80TTA आदि में)

3. अध्याय VI ए अंतर्गत कटौती योग्य सीमा कटौती के अनुसार लागू होगी।

4. धारा 87 ए के अंतर्गत छूट (यदि लागू हो)

5. अनुच्छेद 16 (आइ ए) के अंतर्गत [वित्त अधिनियम, 2018](#) द्वारा शुरू की गई मानक कटौती।

### 3. फॉर्म संख्या 24 क्यू अनुलग्नक-II में कॉलम वार परिवर्तन।

अधिसूचना सं0 36/2019 के अनुसार,फॉर्म संख्या 24 क्यू "अनुलग्नक II" के लिए निम्नलिखित "अनुलग्नक" को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"Annexure II Details of salary paid or credited during the financial year .....and net tax payable								
Serial number.	Permanent Account Number of the employee.	Name of the employee.	Deductee type (Senior Citizen, Super Senior Citizen, Others).	Date from and date up to employed with current employer in the current financial year (dd/mm/yyyy).	Gross Salary as per provisions contained in section 17(1). ★	Value of perquisites under section 17(2) (as per FormNo.12BA, wherever applicable). ★	Profits in lieu of salary under section 17(3) (as per Form No.12BA, wherever applicable). ★	Total amount of gross salary received from current employer (see Note 1 for definition of Salary).
(330)	(331)	(332)	(333)	(334)	(335)	(336)	(337)	(338)

**ध्यान दें :** ★

निम्नलिखित सूचनाओं की दर्ज करने के लिए नए कॉलम समाविष्ट किए गए हैं :-

- धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार सकल वेतन। (कॉलम नंबर 335)
- धारा 17 (2) के तहत अतिरिक्त सुवधा का मूल्य। (कॉलम नंबर 336)
- धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले लाभ (स्तंभ संख्या 337)
- अधिक जानकारी के लिए सीबीडीटी परिपत्र संख्या 01/2019 जो की 01/01/2019 को जारी किया गया है को देख सकते हैं

### 3. फॉर्म संख्या 24 क्यू अनुलग्नक-II में कॉलम वार परिवर्तन।

अधिसूचना 36/2019 के अनुसार, फॉर्म संख्या 24Q में, "अनुबंध II" के लिए, निम्नलिखित "अनुबंध" को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- (जारी..)

Reported total amount of salary received from other employer(s) (see Note 1 for definition of Salary).	Travel concession or assistance under section 10(5). ★	Death-cum-retirement gratuity under section 10(10). ★	Commutated value of pension under section 10(10A). ★	Cash equivalent of leave salary encashment under section 10(10AA). ★	House rent allowance under section 10(13A). ★	PAN of landlord, if exemption is claimed under section 10(13A) (see Note 3). ★	Amount of any other exemption under section 10. ★	Total amount of exemption claimed under section 10 (340+341+342+343+344+346). ★	Total deduction under section 16(ia).
(339)	(340)	(341)	(342)	(343)	(344)	(345)	(346)	(347)	(348)

ध्यान दें :- ★ :- अनुच्छेद 10 के अंतर्गत विभिन्न कॉलमों में आय में छूट का क्लेम :-

- धारा 10 (5) के अंतर्गत यात्रा में रियायत या सहायता। (कॉलम संख्या 340)
- धारा 10 (10) के अंतर्गत मृत्यु-सह-निवृत्ति ग्रेचुटी (कॉलम संख्या 341)
- धारा 10 (10 ए) में पेंशन का प्रतिबद्ध मूल्य (कॉलम संख्या 341)
- धारा 10 (10 ए ए) नकद वेतन के समतुल्य अवकाश वेतन नकदीकरण (कॉलम संख्या 343)
- धारा 10 (13 ए) के तहत मकान किराया भत्ता (कॉलम नंबर 344)
- धारा 10 (13 ए) के तहत यदि छूट का दावा किया है, मकान मालिक का पैर (कॉलम नंबर 345)
- धारा 10 के तहत किसी अन्य छूट की राशि (कॉलम संख्या 346)
- धारा 10 के तहत दावा की गई छूट की कुल राशि (कॉलम संख्या 340+341+342+343+344+346). (कॉलम संख्या 347)

### 3. फॉर्म संख्या 24 क्यू अनुलग्नक-II में कॉलम वार परिवर्तन।

(जारी..) अधिसूचना 36/2019 के अनुसार, फॉर्म संख्या 24Q में, "अनुबंध II" के लिए, निम्नलिखित "अनुबंध" को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

Total deduction under section 16(ii).	Total deduction under section 16(iii).	Income chargeable under the head "Salaries" [338+339-(347+348+349+350)].	Income (or admissible loss) from house property reported by employee offered for TDS as per section 192 (2B).	PAN of lender, if interest on housing loan is claimed under section 24(b) (see Note 4).	Income under the head other sources offered for TDS as per section 192 (2B).	Gross total income (351+352+354).	Deduction in respect of life insurance premia, contributions to provident fund etc. under section 80C.	Deduction in respect of contribution to certain pension funds under section 80CCC.	Deduction in respect of contribution by taxpayer to notified pension scheme under section 80CCD(1).
(349)	(350)	(351)	(352)	(353)	(354)	(355)	(356)	(357)	(358)

ध्यान दें : ★ रिपोर्टिंग के लिए प्रस्तुत किए गए कॉलम :

- ऋणदाता का पैना, यदि आवास ऋण पर ब्याज धारा 24 (बी) के तहत दावा किया जाता है (कॉलम संख्या 353)
- धारा 192 (2 बी) के अनुसार टीडीएस के सामने प्रस्तुत किए गए शीर्षक अन्य स्रोतों के तहत आय . (कॉलम संख्या 354)

★ : अध्याय VI- ए के तहत कटौती की रिपोर्टिंग के लिए प्रस्तुत कॉलम :

- जीवन बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती, भविष्य निधि में योगदान आदि (धारा 80 सी) (कॉलम संख्या 356)
- कुछ पेंशन फंडों में अनिवार्य भुगतान के संबंध में कटौती (धारा 80सीसी)(कॉलम संख्या 357)
- अधिसूचित पेंशन योजना के लिए करदाता द्वारा अनिवार्य कटौती के संबंध में कटौती [अनुभाग 80 सी सी डी (1) (कॉलम संख्या 358)

### 3. फॉर्म संख्या 24 क्यू अनुलग्नक-II में कॉलम वार परिवर्तन।

(जारी..) अधिसूचना 36/2019 के अनुसार, फॉर्म संख्या 24Q में, "अनुबंध II" के लिए, निम्नलिखित "अनुबंध" को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

Deduction in respect of amount paid or deposited under notified pension scheme under section 80CCD (1B). ★	Deduction in respect of contribution by employer to notified pension scheme under section 80CCD(2).★	Deduction in respect of health insurance premium under section 80D.★	Deduction in respect of interest on loan taken for higher education under section 80E.★	Total deduction in respect of donations to certain funds, charitable institutions, etc. under section 80G. ★	Deduction in respect of interest on deposits in savings account under section 80TTA.★	Amount deductible under any other provision(s) of Chapter VI-A.	Total amount deductible under Chapter VI-A [356+357+358 (limited to Rs. 1,50,000) +359+360 +361+362 +363+364 +365]. ★	Total taxable income (355-366).	Income-tax on total income.
(359)	(360)	(361)	(362)	(363)	(364)	(365)	(366)	(367)	(368)

**ध्यान दें : ★ : अध्याय VI- ए के तहत कटौती की रिपोर्टिंग के लिए प्रस्तुत कॉलम : (जारी..) -**

- अधिसूचित पेंशन योजना के तहत भुगतान / जमा की गई राशि के संबंध में कटौती [धारा 80 सीसीडी (1 बी)] (कॉलम संख्या 359)
- अधिसूचित पेंशन योजना के लिए कटौतीकर्ता द्वारा अनिवार्य कटौती के संबंध में कटौती [धारा 80 सीसीसीडी(2)] (कॉलम संख्या 360)
- स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती (धारा 80 डी) (कॉलम संख्या 361)
- उच्चतर शिक्षा के लिए, लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती (धारा 80 ई) (कॉलम संख्या 362)
- कुछ फंडों, धर्मार्थ संस्थानों आदि को दान के संबंध में कुल कटौती (धारा 80 जी) (कॉलम संख्या 363)
- बचत खाते में जमा पर ब्याज के संबंध में कटौती (धारा 80 टी टी ए) (कॉलम संख्या 364)
- अध्याय VI-A के अंतर्गत कुल कटौती योग्य राशि (a+c+d+e+f+g+h+i J) (कॉलम संख्या 366)

### 3. फॉर्म संख्या 24 क्यू अनुलग्नक-II में कॉलम वार परिवर्तन।

(जारी..) अधिसूचना 36/2019 के अनुसार, फॉर्म संख्या 24Q में, "अनुबंध II" के लिए, निम्नलिखित "अनुबंध" को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

Rebate under section 87A, if applicable. ★	Surcharge, wherever applicable.	Health and education cess.	Income-tax relief under section 89, when salary, etc. is paid in arrear or advance.	Net tax liability [368+370+371-(369+372)].	Total amount of tax deducted at source by the current employer for the whole year [aggregate of the amount in columns 325 of Annexure I for all the quarters in respect of each employee].	Reported amount of tax deducted at source by other employer(s) or deductor(s) (income in respect of which included in computing total taxable income in column 339).	Total amount of tax deducted at source for the whole year (374+375).	Shortfall in tax deduction (+) or excess tax deduction (-) (373-376).
(369)	(370)	(371)	(372)	(373)	(374)	(375)	(376)	(377)

ध्यान दें:- ★ धारा 87 ए के अंतर्गत छूट की प्रस्तुत करने के लिए (यदि लागू हो), (कॉलम 369)

## ध्यान दें

1. वेतन में मजदूरी, वार्षिकी, पेंशन, ग्रेच्युटी (धारा 10 (10) के तहत छूट के अलावा), शुल्क, कमीशन, बोनस, अतिरिक्त परिलब्धियां (अनिवार्य जमा) **अधिनियम, 1974 (1974 का 8)** के तहत जमा राशि का भुगतान, अनुलाभ शामिल हैं। किसी भी वेतन या मजदूरी के अलावा या रोजगार के समापन के संबंध में किए गए भुगतानों के अलावा, वेतन के अग्रिम में लाभ, किसी भी छूटी के किसी भी अवधि के संबंध में प्राप्त भुगतान नहीं लिया गया (धारा 10 (10) ए के तहत छूट के अलावा) ], **आयकर अधिनियम, 1961 की चौथी अनुसूची के भाग ए के नियम 6 के अनुसार** कर के लिए कर में मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में खाते के शेष के लिए कोई वार्षिक अभिवृद्धि, कर्मचारी द्वारा प्राप्त आय के रूप में समझी गई कोई राशि **आयकर अधिनियम, 1961 की चौथी अनुसूची के भाग ए के नियम 11 के उप (नियम (4) के अनुसार, धारा 80 सीसीडी में संदर्भित पेंशन योजना के तहत कर्मचारी के खाते में केंद्र सरकार द्वारा किए गए किसी भी योगदान या कोई अन्य राशि आयकर के लिए शीर्षक 'वेतन' में निहित हैं ।**
2. जहां एक नियोक्ता (कटौतीकर्ता) किसी कर्मचारी को भुगतान किए गए पारिश्रमिक पर कटौती करता है या अपनी ओर से उस कर्मचारी को किसी भी स्वीकृत सेवानिवृत्ति निधि में योगदान देता है, ऐसे सभी कटौतियों या भुगतान को विवरण में शामिल किया जाना चाहिए।
3. मकान मालिक का स्थायी खाता संख्या अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाएगा जहां पिछले वर्ष के दौरान भुगतान किया गया कुल किराया एक लाख रुपये से अधिक है।
4. ऋणदाता का स्थायी खाता संख्या अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाएगा जहां आवास ऋण, जिस पर ब्याज का भुगतान किया जाता है, वित्तीय संस्थान या नियोक्ता (employer) के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से लिया जाता है।

# धन्यवाद

## कृपया ध्यान दें :

- 1) प्रतिक्रिया के लिए : आप हमें अपनी प्रतिक्रिया [contactus@tdscpc.gov.in](mailto:contactus@tdscpc.gov.in) पर साझा कर सकते हैं।
- 2) किसी भी प्रश्न के लिए : आप ट्रेसेज़ वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत के रूप में 'रिक्वेस्ट फॉर रेज़ल्यूशन (समाधान के लिए अनुरोध)' पर अपनी राय रख सकते हैं ।
- 3) वेबसाइट से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए : आप नीचे वर्णित नंबर पर अपने तथ्य रख सकते हैं ।  
टोल फ्री नंबर - 1800 103 0344  
लैंड लाइन नंबर - 0120 4814600